



प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

प्रलिस के ललल

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, ख़ादी और ग्रामोदयोग आयोग

मेन्स के ललल

स्वरोज़गार और ग्रामीण वकलस से संबंढतल प्रश्न

चर्चा में क्य़ों?

हलल ही में 'ख़ादी और ग्रामोदयोग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (Prime Minister Employment Generation Program- PMSGP) के कर्यलनवन में कलफ़ी प्रगतल देखने को मलली है ।

प्रमुख बढु:

- हलल ही में जलरी आंकड़ों (1 अप्रैल से 18 अगस्त तक) के अनुसार, चलू वतलतीय वर्ष के पहले पलँच महीनों में इस कर्यलनवन के तहत परयोजनाओं की स्वीकृतलमें 44% की वृद्धल देखने को मलली है ।
- 1 अप्रैल के बलद से 'ख़ादी और ग्रामोदयोग आयोग' द्वारा बैंकों से वतलतपोषण हेतु 1.03 ललख आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जबकल पछिले वर्ष इसी अवधलमें मलत्र 71,556 परयोजनाओं को वतलतपोषण के ललल मंजूरी दी गई थी ।
- चलू वतलतीय वर्ष में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत प्रलप्त आवेदनों की संख्यल में 5% की वृद्धल देखने को मलली है ।
- इस वर्ष 1 अप्रैल से 18 अगस्त के बीच 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत 'ख़ादी और ग्रामोदयोग आयोग' को 1,78,003 आवेदन प्रलप्त हुए जबकल इसी अवधलके दौरान वर्ष 2019 में 1,68,848 आवेदन प्रलप्त हुए थे ।

'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program-PMSGP)

- 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई एक करेडलटल लकलड सब्सलडी योजनल है ।
- इस योजनल की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजनल (PMRY) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कर्यलनवन को मललकर की गई थी ।
- 'केंद्रीय सूकषम, लघु और मध्यम उदयम मंत्रललय' के तहत संचललतल इस योजनल कल कर्यलनवन 'ख़ादी और ग्रामोदयोग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) द्वारा कयलल जलतल है ।

उद्देश्य:

- स्वरोज़गार से जुड़े नए उपकरमों/सूकषम उदयमों/परयोजनाओं के वकलस को बढलवल देकर ग्रामीण और शहरी कषेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करनल ।
- ग्रामीण कषेत्रों से शहरों की तरफ युवलओं के पललयन को रोकने के ललल देश में शहरी और ग्रामीण कषेत्रों में बेरोज़गार युवलओं और कललकलरों के ललल स्थायी रोज़गार कल प्रबंध करनल ।

पलतूरतल:

- कोई भी वयकतल जलसलकी आयु 18 वर्ष से अधकल हो ।
- इस कर्यलनवन के तहत केवल नई इकलइयों की स्थापनल के ललल सहायतल प्रदलन की जलतल है ।

- इस कार्यक्रम के तहत वनरिमाण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये शैक्षणिक योग्यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न मिला हो, 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860' के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदिसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सहायता:

- इसके तहत सामान्य श्रेणी (General Category) के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों 15% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दवियांग, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र, आदिसे संबंधित आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

परियोजनाओं की मंजूरी में आई तेज़ी का कारण:

- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' द्वारा 28 अप्रैल, 2020 को PMEGP परियोजनाओं की मंजूरी के लिये 'ज़िला स्तरीय कार्य दल समिति' (District Level Task Force Committee- DLTF) की भूमिका को समाप्त करने के लिये परियोजना से जुड़े दशिया नरिदेशों में बदलाव कथिया गया था।
- PMEGP परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में DLTF के शामिल होने से इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
- केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दशिया-नरिदेशों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस योजना के तहत भावी उद्यमियों के आवेदनों को मंजूरी देने और ऋण प्राप्त करने हेतु इसे बैंकों को अग्ररिषति करने का कार्य सौंपा गया।
- परियोजनाओं की मंजूरी में ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने से इस कार्यक्रम का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित संभव हुआ है।

परियोजनाओं का वतितपोषण:

- अगस्त और अप्रैल के बीच में वतितपोषण बैंकों द्वारा 11,191 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और आवेदकों को 345.43 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वतितरि कथि गए।
- गौरतलब है कथि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान 9,161 परियोजनाओं के लिये मात्र 276.09 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वतितरि कथि गए थे।

महत्त्व:

- चालू वतितीय वर्ष में PMEGP परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई वृद्धिका महत्त्व और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कथोक इस अवधि के दौरान देश के अधिकांश भागों में COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई थीं।
- बड़ी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृत देना स्थानीय स्तर पर वनरिमाण को बढ़ावा देते हुए लोगों के लिये स्वरोज़गार और स्थायी आजीविका का सृजन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही इसे संरचनात्मक मुद्दों और '[गैर नरिपादित संपत्तियाँ](#)' (Non-Performing Assets- NPA) की बढ़ती संख्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वतितीय वर्ष 2015-16 से वतितीय वर्ष 2018-19 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 10,169 रुपए आवंटित कथि गए थे जनिमें से 1,537 करोड़ रुपए NPA में बदल गए।
- इस कार्यक्रम के तहत MSME क्षेत्र के उद्यमों में 15% NPA की दर इसी क्षेत्र में वैश्विक NPA दर (11%) से बहुत अधिक है।
- आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये वार्षिक रूप से एक स्पष्ट लक्ष्य नरिधारित कथि जाता है, परंतु इस योजना में ऐसे किसी लक्ष्य को नरिधारित नहीं कथि गया है।

आगे की राह:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष के अनुसार, बैंकों द्वारा धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये जसिसे अधिक-से-अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिला सके।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन और रोज़गार सृजन के लिये समय पर पूंजी का वतितरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- वतितीय सहायता के साथ सरकार द्वारा उद्यमियों को सही बाज़ार और सही उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prime-minister-s-employment-generation-program>